प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 01.08.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

सड़क सुरक्षा यातायात के अंतर्गत की गई कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में श्रीमान क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय के मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा यातायात जागरूकता अभियान के तहत आज दिनांक 01.08.2022 को श्रावण मास में गोला गोकरण नाथ से कांवड़ यात्रियों एवं श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक के पश्चात बहराइच गोला मार्ग से आते जाते समय लालपुर बैरियर बरगद चौराहा छाऊछ चौराहा एलआरपी चौराहा राजापुर चौराहा बीर बाबा मंदिर एवं अन्य जगहों पर कांवरियों एवं श्रद्धालुओं द्वारा ट्रैक्टर ट्राली व पिकप आदि के ऊपर बैठकर जा रहे श्रद्धालु/ कावड़ यात्रियों को रोककर यातायात नियमों का पालन करने हेतु लगातार बताया जा रहा हैं एवं अपील की जा रही हैं कि यातायात नियमों के पालन करने से दुर्घटना से बचा जा सकता हैं आये दिन सड़क हादसे हो रहे है जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी न होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन न करना है। दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। पैदल चलते समय हमेशा अपने बाई पटरी पर चले सड़क पार करने से पहले बाएं-दाएं देखें कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा, फिर पार करे

सड़क पर अकेले-अकेले चलना चाहिए, झुंड बनाकर नहीं चलना चाहिए, सड़क पर चलते समय मोबाईल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सड़क पर चलते समय इयरफ़ोनस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वाहन चलाते समय हेलमेट व सीटबेल्ट का उपयोग अवश्य करें, भीड़ वाले क्षेत्र में वाहन को निर्धारित गति में चलायें, नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें, स्टण्ट बाइकिंग से बचें, काली फिल्म, हूटर, प्रेशर हार्न का प्रयोग न करें, गलत दिशा में न चलें। इसी तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे।

जनपद में जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस द्वारा सघन अभियान चलाकर यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले कुल 108 वाहन चालकों का चालान मोटर यान अधिनियम के तहत किया गया।

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 नफर अभियुक्त नादिर अंसारी को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना धौरहरा के नेतृत्व में दिनांक 01.08.2022 को थाना धौरहरा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 486/2022 धारा 2ख(17)/3 उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 में वांछित अभियुक्त नादिर अंसारी पुत्र स्व0 समीउल्ला अंसारी निवासी महाराजनगर थाना धौरहरा जनपद खीरी को ग्राम रमियाबेहड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>
नादिर अंसारी पुत्र स्व0 समीउल्ला अंसारी निवासी महाराजनगर थाना धौरहरा जनपद खीरी

<u>आपराधिक इतिहास</u>
1. मु0अ0सं0 342/15 धारा 3/5/8 गोवध अधि0, थाना धौरहरा, खीरी
2. मु0अ0सं0 327/16 धारा 3/5/8 गोवध अधि0, थाना धौरहरा, खीरी
3. मु0अ0सं0 491/17 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना धौरहरा, खीरी
4. मु0अ0सं0 198/19 धारा 2/3 यू0पी0 गैगस्टर एक्ट, थाना धौरहरा, खीरी
5. मु0अ0सं0 342/2020 धारा 379/411 भादवि थाना ईसानगर, जनपद खीरी
6. मु0अ0सं0 566/2021 धारा 2ख(1)/3 यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना ईसानगर, जनपद खीरी
7. मु0अ0सं0 380/2021 धारा 3/5क/8 गोवध अधि0 थाना धौरहरा, खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>
1- उ0नि0 इन्साफ अली, थाना धौरहरा
2- का0 शैलेन्द्र सिंह
3- का0 अंकुल कुमार

<u>थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, 08 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना धौरहरा के नेतृत्व में दिनांक 01.08.2022 को थाना धौरहरा पुलिस टीम द्वारा 08 नफर वारंटी अभियुक्तों अ0सं0 173/2014 धारा 308/324/323/504 भादवि0 में वारंटी 1.मो0 यार पुत्र स्व0 बदलू 2.अतहर पुत्र बदलू 3.इसहाक उर्फ असफाक पुत्र बदलू 4.मोहम्मदीन पुत्र स्व0 बदलू अन्सारी व मु0 नं0 51/21 धारा 147/148/149/504/506/427/352 भादवि0 में वारंटी 5.मनोज वर्मा पुत्र स्व0 सियाराम 6.सरोज वर्मा पुत्र स्व0 सियाराम वर्मा 7. जगप्रताप पुत्र गजराज 8. जगमोहन पुत्र गजराज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-</u>

1. मो0 यार पुत्र स्व0 बदलू निवासी ग्राम महराजनगर थाना धौरहरा जनपद खीरी
2. अतहर पुत्र बदलू निवासी ग्राम महराजनगर थाना धौरहरा जनपद खीरी
3. इसहाक उर्फ असफाक पुत्र बदलू निवासी ग्राम महराजनगर थाना धौरहरा जनपद खीरी
4. मोहम्मदीन पुत्र स्व0 बदलू अन्सारी निवासी ग्राम महराजनगर थाना धौरहरा जनपद खीरी
5. मनोज वर्मा पुत्र स्व0 सियाराम निवासी ग्राम महराजनगर थाना धौरहरा जनपद खीरी
6. सरोज वर्मा पुत्र स्व0 सियाराम वर्मा निवासी ग्राम महराजनगर थाना धौरहरा जनपद खीरी
7. जगप्रताप पुत्र गजराज निवासी महाराजनगर थाना धौरहरा जनपद खीरी
8. जगमोहन पुत्र गजराज निवासी महाराजनगर थाना धौरहरा जनपद खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 इन्साफ अली, थाना धौरहरा
2. का0 शैलेन्द्र सिंह
3. का0 अंकुल कुमार
4. का0 विजय गुप्ता

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त दिलीप पुत्र राममूर्ति मिश्रा को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त दिलीप पुत्र राममूर्ति मिश्रा को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना ईसानगर पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
दिलीप पुत्र राममूर्ति मिश्रा निवासी सम्भौराकला थाना ईसानगर जनपद खीरी

बरामदगीः-
01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद करके अभियुक्त अनवर पुत्र अल्लानूर को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त अनवर पुत्र अल्लानूर को 01 अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना मोहम्मदी पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
अनवर पुत्र अल्लानूर निवासी गोकन थाना मोहम्मदी जनपद खीरी

बरामदगीः-
01 अदद अवैध चाकू बरामद

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 135 लीटर अवैध शराब बरामद कर 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए <u>**135 लीटर अवैध**</u> कच्ची शराब व <u>**02**</u> अवैध शराब भट्ठी बरामद कर <u>**10 अभियुक्तों**</u> को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत <u>**10 अभियोग**</u> पंजीकृत किए गए।